

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

समक्ष-सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.- 49/2021 सी.आई.एस सं.-49/2021

राजेंद्र मंडल बनाम विद्यानंद मंडल एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
18 /10 /24	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद वादी की ओर आदेश 22 नियम 4 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19/03/24 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है की तामिला प्रतीयवेदन से पता चला की प्रतिवादी क्रमांक 3 लतरु यादव की मृत्यु हो गयी जो अपने पीछे दो पुत्र अर्जुन यादव, श्रीकांत यादव अपनी विधवा पत्नी चांदनी देवी एवं एक पुत्री आशा देवी को छोड़कर मरे हैं अतः ; विनम्र निवेदन है कि वाद-पत्र से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किया जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। वादी को सूना। इस वाद के प्रतिवादी सं. 3 की मृत्यु हो गयी है जिसकी जानकारी वादी मको तामिला प्रतिवेदन से हुई है। अतः वादी के उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत कर वादपत्र से प्रतिवादी सं 3 का नाम विलोपित कर उनके वारिसान को प्रतिस्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 12/11/24 वास्ते समन सामग्री हेतु नियत। लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	